न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 27 सन 2016

अनवान :–

1. गंगाराम पुत्र कुरडाराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. जीवणाराम पुत्र श्योनारायण जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. भंवरलाल पुत्र खेताराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।

सायलान

बनाम

1. साहबराम पुत्र माता धन्नी पुत्री हरीराम जाति बावरी निवासी तदुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रूडाराम पुत्र माता धन्नी पुत्री हरीराम जाति बावरी निवासी तदुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. पप्पू माता धन्नी पुत्री हरीराम जाति बावरी निवासी तदुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
4. सहीराम माता धन्नी पुत्री हरीराम जाति बावरी निवासी तदुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ(फोत)
   4/1. गौरादेवी पत्नी सहीराम 4/2 लीलादेवी पुत्री सहीराम 4/3 विनोद कुमार पुत्र सहीराम जाति बावरी निवासी तदुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. सरबती पुत्री माता धन्नी पत्नी नेतराम जाति बावरी निवासी चक 28 तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर
6. रामदेई पुत्री माता धन्नी पत्नी रामस्वरूप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायल
श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 15/4/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 820/752 के खसरा न0 412 की 10.3830हैक व खसरा न0 790 की 0.3790हैक खसरा न0 661/2 की 0.1640हैक कुल 10.9260हैक भूमि हीराराम पुत्र बीझाराम की अर्जित भूमि थी।

हीरा पुत्र बीझा का स्वर्गवास हो गया उक्त अराजी पुराना खसरा न0 423 की 41.01 बीध का नया खसरा 412 की 41.05 बीधा व पुराने खसरा न0 551 की 5.06 बीधा व खसरा न0 550 की 1.05 बीधा खसरा न0 423 की 41.01 बीधा का नया खसरा न0 428 की 31. 08 बीधा व नया खसरा न0 411 की 31.03 बीधा बन्दोबस्त थी हिरा वल्द बीझा के फोत होने पर उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की पत्रावली गवाहान प्रार्थी के ब्यानों की पुष्टि व पंचायत की तस्दीक कर हीरा का नाम खारीज करे मु0 केसर देवी हीरा व च्यानणराम व जैसाराम श्योनारायण व कुरडाराम के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 12.01.1972 को एएसओ द्वारा जरिये मिसल न0 365/70 चानण आदि बनाम हीराराम में दिये गये।

गैरसायलान संख्या 2 ता 6 की माता धन्नी पुत्री हीरा जोजा काशीराम ने मिसल न0 365/70 अनवानी चानण आदि बनाम हीरा में एएसओ के समक्ष ब्यान दिये थे कि वह अपने पिता की भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है इसलिये पिता की भूमि में धन्नी का नाम दर्ज ना किया जावे जिस आधार पर हीरा वल्द बीझा के जो भूमि के अलावा अन्य और थी उसमें धन्नी का नाम कलमजन कर दिया यानी खातेदारी भूमि में से धन्नी का नाम कलमजन कर दिया परन्तु जो भूमि गैरखातेदारी थी में गैरसायलान संख्या 2 ता 6 की माता धन्नी के 1/5 हिस्सा कतई गलत तौर से दर्ज करवा लिया जो कतई गलत तौर से दर्ज किया गया हैं

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

धन्नी के नाम से 1/5 हिस्सा भूमि वाद के पक्षकारान सायलान व दावा में दिगर प्रतिवादी यानी धन्नी के द्वारा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया गया था। धन्नी ने शपथ पूर्वक ब्यान दिये गये थे की वह अपने पिता की भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है धन्नी अपने ब्यानों में बधी हुई थी वह अपने ब्यानों से इन्कार नही कर सकती है राजस्व रिकार्ड में अनुचित तौर से धन्नी का 1/5 हिस्सा दर्ज है जिसे सायलान कलमजन करवा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

सायल संख्या 1 व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 (बहनो का हक परित्याग करने के पश्चात) 1/4 हिस्से एवं सायल न0 2 व दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 24 ता 31 प्रत्येक सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा व सायल न0 3 व दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 32 ता 35 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है क्योकि उनकी बुआ तुलछा, रामा , मिलो, पानो , मनोहरी, अपने हक से दस्तबदार हो चुकी है तथा दावा मे दिगर प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 सयुक्त दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 प्रत्येक व दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 16 ता 19 सयुक्त तथा दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 20 ता 23 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है व गैरसायल न0 2 ता 6 की माता धन्नी का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है।

वाद भूमि हिरा वल्द बिझा की सम्वत 2012 से पूर्व की अर्जित व नोतोड करदा भूमि है उक्त भूमि दस वर्ष से कब्जा काश्त में है जबकि हीरा वल्द बीझा की उक्त अर्जित भूम में खसरा न0 411 में खातेदारी अधिकार देकर गैरसायलान संख्या 2 ता 6 की माता धन्नी का नाम कलमजन कर दिया जबकि सम्वत 2012 में हीरा वल्द बीझा के पिता का नाम बीझा के स्थान पर सहवन से हिरा वल्द मूणा दर्ज कर दिया जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति ही नही है केवल हिरा वल्द बीझा दर्ज होना चाहिये था उक्त त्रुटि सुधार योग्य है गलत नाम के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने से वंचित कर दिया जबकि सम्वत 2012 की अर्जित भूमि होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

वाद भूमि दस वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त में होने के कारण राजस्थान काश्तकार अधिनियम के ताबे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है जबकि हिरा वल्द बीझा उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों से वंचित हो चुका है कानुनी तौर से उक्त भूमि पर सायलान व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

गैरसायलान वाद भूमि अपने नाम अनुचित तौर से दर्ज होने के कारण कभी भी रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल कर सकते है जबकि उक्त भूमि में गैरसायलान की माता धन्नी ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है केवल नाम दर्ज होने का फायदा उठा कर वाद भूमि रहन बैय कर सकते है इसलिये गेरसायलान को पाबन्द करवाने की अधिकारी है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायलान के पक्ष में है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 820/752 के खसरा न0 412 की 10.3830हैक्ट व खसरा न0 790 की 0.3790हैक्ट खसरा न0 661/2 की 0.1640हैक्ट कुल 10.9260हैक्ट भूमि को गैरसायलान रहन बैय या मुन्तकिल ना करे।

सायलान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान न0 2 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया जाकर निवेदन किया की

सजरा खानदान गलत तौर से दर्ज किया गया है सम्पूर्ण विवरण दर्ज नही किया गया है हीराराम के फोत होने पर उसके वारिसान उसके पांच पुत्र हुए चानणराम , जैसाराम श्योनारायण , कुरडाराम एवं गैरसायल की माता धन्नी है सभी फोत हो चुके है मगर कुर्सीनामा में चारो के हकदारान को तो दर्शाया गया है गैरसायलान की माता धन्नी जो दिनांक 08.11.2000 को यानी दावा दायरी के 16 साल पूर्व ही देहान्त हो गई है उसके वंशज गैरसायलान को दर्शाया नही गया है।

रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 820/752 की कुल 10.9260हैक्ट भूमि हीराराम पुत्र बीझाराम की स्वय की अर्जित भूमि ना होकर यह बीझाराम की पैदा करदा भूमि है हीराराम का स्वर्गवास होना स्वीकार है तथा मिसल बन्दोबस्त के अनुसार साबिका खसरा से हाल खसरा में परिर्वतन होना स्वीकार है।

नामान्तकरण सम्बधी कार्यवाही एएसऑ के समक्ष की गई थी एवं प्रकरण विचाराधीन होने का कथन गलत तौर से अंकित किया गया है धन्नी का वाद भूमि में हक हिस्सा है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

गैरसायलान की माता धन्नी से ना तो एएसओ के समक्ष कोई ब्यान किये है ना ही अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो के पक्ष में त्याग किया गया है सायलान ने षडयन्त्र पूर्वक किसी अन्य महिला को खडी कर ब्यान करवाये गये है गैरसायलान को उनकी माता की भूमि से वंचित करने के लिये ऐसा किया गया है अगर कार्यवाही सही होती तो खातेदारी एवं गैरखातेदारी दोनो भूमिया सायलान के नाम होती केवल धन्नी का नाम खातेदारी भूमि से कलमजन किया गया है। ।

सायलान गैरसायलान की माता धन्नी देवी के नाम 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज है कि बाबत वाद लाने तथा उसके हिस्सा को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी नही है गैरसायलान की माता के नाम उपरोक्त भूमि उनके पूर्वजों के फोत होने के बाद दर्ज हुई है अब धापा व उसके वारिसान के नाम दर्ज भूमि के इन्द्राज को कलमजन करवाकर सायलान अपने नाम दर्ज करवाने के कानुनी अधिकारी नही है।

सायलान इस भूमि के किसी भी श्रेणी के काश्तकार हकदार एवं हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है सायलान को वादग्रस्त भूमि बाबत वाद लाने का वाद कारण हासिल नही है

सायलान ने मौजुदा वाद 46 वर्षो के बाद पेश किया गया है इसलिये उनके खिलाफ मस्ला ऐस्टोपल आरीज है क्योकि हरीराम के देहान्त होने के बाद सायलान के पिता तथा उनके फोत हो जाने के बाद सायलान को ज्ञान था मगर आज तक वह इस इन्द्राज को दुरूस्त करने बाबत कार्यवाही नही की हे तथा धापा तथा उसको जायज वारिसान को खातेदार काश्तकार माने रखा वर्तमान समय में भूमि की किमतो में भारी तेजी आने के कारण उनके मन में लालच आ गया है तथा मौजुदा बाद पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है खारिज फरमावे।

जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई ।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 820/752 के खसरा न0 412 की 10.3830हैक्ट व खसरा न0 790 की 0.3790हैक्ट खसरा न0 661/2 की 0.1640हैक्ट कुल 10.9260हैक्ट भूमि हीराराम पुत्र बीझाराम की अर्जित भूमि थी।

हीरा पुत्र बीझा का स्वर्गवास हो गया उक्त अराजी पुराना खसरा न0 423 की 41.01 बीध का नया खसरा 412 की 41.05 बीधा व पुराने खसरा न0 551 की 5.06 बीधा व खसरा न0 550 की 1.05 बीधा खसरा न0 423 की 41.01 बीधा का नया खसरा न0 428 की 31.08 बीधा व नया खसरा न0 411 की 31.03 बीधा बन्दोबस्त थी हिरा वल्द बीझा के फोत होने पर उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की पत्रावली गवाहान प्रार्थी के ब्यानों की पुष्टि व पंचायत की तस्दीक कर हीरा का नाम खारीज करे मु0 केसर देवी हीरा व च्यानणराम व जैसाराम श्योनारायण व कुरडाराम के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 12.01.1972 को एएसओ द्वारा जरिये मिसल न0 365/70 चानण आदि बनाम हीराराम में दिये गये।

गैरसायलान संख्या 2 ता 6 की माता धन्नी पुत्री हीरा जोजा काशीराम ने मिसल न0 365/70 अनवानी चानण आदि बनाम हीरा में एएसओ के समक्ष ब्यान दिये थे कि वह अपने पिता की भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है इसलिये पिता की भूमि में धन्नी का नाम दर्ज ना किया जावे जिस आधार पर हीरा वल्द बीझा के जो भूमि के अलावा अन्य और थी उसमें धन्नी का नाम कलमजन कर दिया यानी खातेदारी भूमि में से धन्नी का नाम कलमजन कर दिया परन्तु जो भूमि गैरखातेदारी थी में गैरसायलान संख्या 2 ता 6 की माता धन्नी के 1/5 हिस्सा कतई गलत तौर से दर्ज करवा लिया जो कतई गलत तौर से दर्ज किया गया हैं

धन्नी के नाम से 1/5 हिस्सा भूमि वाद के पक्षकारान सायलान व दावा में दिगर प्रतिवादी यानी धन्नी के द्वारा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया गया था। धन्नी ने शपथ पूर्वक ब्यान दिये गये थे की वह अपने पिता की भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है धन्नी अपने ब्यानों में बधी हुई थी वह अपने ब्यानों से इन्कार नही कर सकती है राजस्व रिकार्ड में अनुचित तौर से धन्नी का 1/5 हिस्सा दर्ज है जिसे सायलान कलमजन करवा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

सायल संख्या 1 व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 (बहनो का हक परित्याग करने के पश्चात) 1/4 हिस्से एवं सायल न0 2 व दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 24 ता 31 प्रत्येक सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा व सायल न0 3 व दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 32 ता 35 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है क्योकि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

उनकी बुआ तुलछा, रामा , मिलो, पानो , मनोहरी, अपने हक से दस्तबदार हो चुकी है तथा दावा मे दिगर प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 सयुक्त दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 प्रत्येक व दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 16 ता 19 सयुक्त तथा दावा में दिगर प्रतिवादी संख्या 20 ता 23 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है व गैरसायल न0 2 ता 6 की माता धन्नी का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है।

वाद भूमि हिरा वल्द बिझा की सम्वत 2012 से पूर्व की अर्जित व नोतोड करदा भूमि है उक्त भूमि दस वर्ष से कब्जा काश्त में है जबकि हीरा वल्द बीझा की उक्त अर्जित भूमि में खसरा न0 411 में खातेदारी अधिकार देकर गैरसायलान संख्या 2 ता 6 की माता धन्नी का नाम कलमजन कर दिया जबकि सम्वत 2012 में हीरा वल्द बीझा के पिता का नाम बीझा के स्थान पर सहवन से हिरा वल्द मूणा दर्ज कर दिया जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति ही नही है केवल हिरा वल्द बीझा दर्ज होना चाहिये था उक्त त्रुटि सुधार योग्य है गलत नाम के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने से वंचित कर दिया जबकि सम्वत 2012 की अर्जित भूमि होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

वाद भूमि दस वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त में होने के कारण राजस्थान काश्तकार अधिनियम के ताबे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है जबकि हिरा वल्द बीझा उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों से वंचित हो चुका है कानुनी तौर से उक्त भूमि पर सायलान व दावा में दिगर तरतीबी प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

गैरसायलान वाद भूमि अपने नाम अनुचित तौर से दर्ज होने के कारण कभी भी रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल कर सकते है जबकि उक्त भूमि में गैरसायलान की माता धन्नी ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है केवल नाम दर्ज होने का फायदा उठा कर वाद भूमि रहन बैय कर सकते है इसलिये गेरसायलान को पाबन्द करवाने की अधिकारी है अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरआरडी वर्ष 1993 पेज– 206 , आरआरटी वर्ष 2018–19 पेज – 618, आरआरटी वर्ष 2018–19 पेज – 531 प्रस्तुत किये।

गैरसायलान न0 1 ता 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सजरा खानदान गलत तौर से दर्ज किया गया है सम्पूर्ण विवरण दर्ज नही किया गया है हीराराम के फोत होने पर उसके वारिसान उसके पांच पुत्र हुए चानणराम , जैसाराम श्योनारायण , कुरडाराम एवं गैरसायल की माता धन्नी है सभी फोत हो चुके है मगर कुर्सीनामा में चारो के हकदारान को तो दर्शाया गया है गैरसायलान की माता धन्नी जो दिनांक 08.11.2000 को यानी दावा दायरी के 16 साल पूर्व ही देहान्त हो गई है उसके वंशज गैरसायलान को दर्शाया नही गया है।

रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 820/752 की कुल 10.9260हैक्ट भूमि हीराराम पुत्र बीझाराम की स्वय की अर्जित भूमि ना होकर यह बीझाराम की पैदा करदा भूमि है हीराराम का स्वर्गवास होना स्वीकार है तथा मिसल बन्दोबस्त के अनुसार साबिका खसरा से हाल खसरा में परिर्वतन होना स्वीकार है।

नामान्तकरण सम्बधी कार्यवाही एएसऑ के समक्ष की गई थी एवं प्रकरण विचाराधीन होने का कथन गलत तौर से अंकित किया गया है धन्नी का वाद भूमि में हक हिस्सा है गैरसायलान की माता धन्नी से ना तो एएसओ के समक्ष कोई ब्यान किये है ना ही अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो के पक्ष में त्याग किया गया है सायलान ने षडयन्त्र पूर्वक किसी अन्य महिला को खडी कर ब्यान करवाये गये है गैरसायलान को उनकी माता की भूमि से वंचित करने के लिये ऐसा किया गया है अगर कार्यवाही सही होती तो खातेदारी एवं गैरखातेदारी दोनो भूमिया सायलान के नाम होती केवल धन्नी का नाम खातेदारी भूमि से कलमजन किया गया है। ।

सायलान गैरसायलान की माता धन्नी देवी के नाम 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज है कि बाबत वाद लाने तथा उसके हिस्सा को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी नही है गैरसायलान की माता के नाम उपरोक्त भूमि उनके पूर्वजों के फोत होने के बाद दर्ज हुई है अब धापा व उसके वारिसान के नाम दर्ज भूमि के इन्द्राज को कलमजन करवाकर सायलान अपने नाम दर्ज करवाने के कानुनी अधिकारी नही है।

सायलान इस भूमि के किसी भी श्रेणी के काश्तकार हकदार एवं हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है सायलान को वादग्रस्त भूमि बाबत वाद लाने का वाद कारण हासिल नही है प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की धन्नी ने अपने हक हिस्सा की भूमि का पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

त्याग किया गया था अथवा नही एवं सायलान वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान न0 1 ता 6 के नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज है जो विरास्तन से उनकी माता धन्नी पुत्री हीराराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से दर्ज हुई है वाद भूमि प्रकरण की वस्तुस्थिति के अनुसार गैरसायलान के नाम दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल एवं गैरसायलान दोनो के पक्ष में पाया जाता है।

सायलान का कथन है कि गैरसायलान की माता धन्नी ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो के पक्ष में त्याग किया हुआ है जबकि गैरसायलान का कथन है कि उनकी माता धन्नी पुत्री हीरा ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग नही किया गया है।

सायलान एवं गैरसायलान का उक्त बिन्दु विरोधाभाषी है अर्थात एक दुसरे के विपरित है यद्यपि एएसऑ के द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति पेश की गई है जिससे धन्नी के द्वारा हक त्याग किया जाना तो प्रतित होता है किन्तु हस्तगत भूमि में हक त्याग किया गया है या नही स्पष्ट नही होता है जो वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तनकी कायम हो जाने के बाद तनकीआत के आधार पर ही साबित हो सकता है प्रथम दृष्टया साबित नही किया जा सकता है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि धन्नी पुत्री हीराराम के देहान्त होने पर उसके वारिसान गैरसायलान के नाम से दर्ज हो चुकी है।

उक्त बिन्दु कि धन्नी पुत्री हीराराम ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया गया था या नही साबित होने से पूर्व वाद भूमि खूर्द बूर्द नही हो यह सुनिश्चित किया जाना भी न्यायोचित है अर्थात वाद में उक्त बिन्दु साबित होने तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी उचित प्रतित होती है। सायलान ने न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.टी–2018–19 पेज 591 प्रस्तुत की जो प्रकरण पर चस्पा होती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायलान की तुलना में सायलान के पक्ष में पाये जाने के कारण न्यायहित में वाद भूमि की वाद के निस्तरण तक यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायोचित है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कार्यालय द्वारा दिनांक 25.02.2016 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/4/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner